<u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा 14/01/2026 को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़ में MedLEaPR पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन</u>

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र हरियाणा द्वारा 14 जनवरी, 2026 को चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी, चंडीगढ़ में **MedLEaPR (मेडिको लीगल परीक्षण एवं पोस्ट-मार्टम रिपोर्टिंग)** पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दिल्ली सहित 9 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन **माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल**, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। उद्घाटन अवसर पर मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों में **माननीय श्री न्यायमूर्ति शील नागू**, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़; **माननीय श्री न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी**, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़; **माननीय श्री न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल**, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़; **श्री सुधीर राजपाल, आईएएस**, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा तथा **श्री वारीन्द्र सेठ**, उप महानिदेशक एवं राज्य समन्वयक, एनआईसी हरियाणा उपस्थित रहे।

महानिदेशक, एनआईसी की ओर से **श्री वारीन्द्र सेठ**, उप महानिदेशक एवं राज्य समन्वयक, एनआईसी–हरियाणा द्वारा स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया गया।

मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा **MedLEaPR** पर आधारित संकलन (कंपेंडियम) का, **MedLEaPR प्लेटफॉर्म** के माध्यम से मेडिको-लीगल परीक्षण एवं पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग के लिए एक समग्र संदर्भ दस्तावेज के रूप में इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए इसके उपयोग के उद्देश्य हेतु, औपचारिक अनावरण किया गया | **MedLEaPR मोबाइल एप्लिकेशन** का सॉफ्ट लॉन्च **माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल**, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया।

श्री सुधीर राजपाल, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा ने **MedLEaPR** के क्रियान्वयन हेतु पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा की गई पहल की सराहना की तथा यह रेखांकित किया कि कार्यशाला के दौरान प्राप्त सुझाव एवं प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्लेटफॉर्म को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने में सहायक होंगे, जिससे मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग अधिक विश्वसनीय, मानकीकृत एवं दक्ष हो सकेगी।

माननीय श्री न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने कहा कि **MedLEaPR** सुरक्षित डिजिटलीकरण एवं एकीकरण के माध्यम से मेडिको-लीगल एवं पोस्टमार्टम अभिलेखों को सुव्यवस्थित करता है तथा विलंब, मानकीकरण और प्रामाणिकता से संबंधित समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। **माननीय श्री न्यायमूर्ति शील नागू** ने विश्वास व्यक्त किया कि **MedLEaPR संकलन** एवं **मोबाइल एप्लिकेशन** का शुभारंभ, अविरत प्रशिक्षण के सहयोग से, विश्वसनीय एवं उत्तरदायी मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

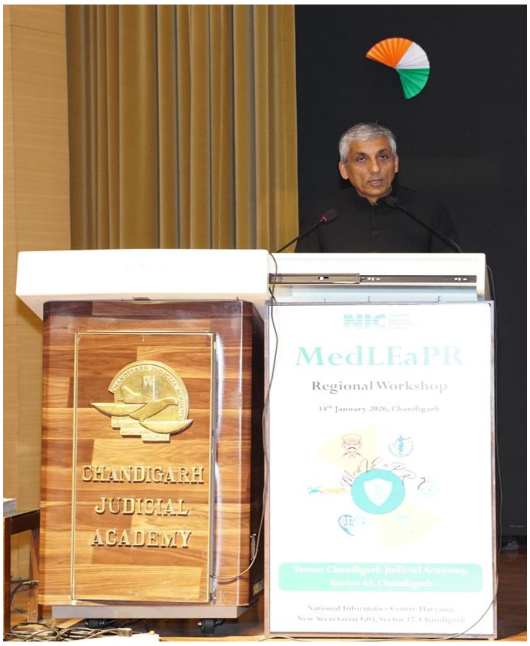

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने मेडिको-लीगल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग के क्षेत्र में **MedLEaPR प्रणाली** के महत्व को एक प्रमुख सुधार के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने **एनआईसी हरियाणा** द्वारा प्रदत्त तकनीकी सहयोग की सराहना की तथा इस बात पर बल दिया कि न्यायिक एवं तकनीकी विशेषज्ञों के मध्य सहयोग, न्यूनतम लागत पर एक सुदृढ़, पैन-इंडिया डिजिटल समाधान के विकास की कुंजी रहा है।

9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से **MedLEaPR के राज्य नोडल अधिकारियों** ने अपने-अपने क्रियान्वयन की रणनीतियाँ, सर्वोत्तम प्रथाएँ, चुनौतियाँ तथा भावी कार्ययोजनाएं साझा की।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ ने समापन सत्र के दौरान न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि **MedLEaPR प्लेटफॉर्म** एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न्याय प्रदान करने में होने वाले विलंब को कम कर नागरिकों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने में सहायक है तथा आम जनमानस के लिए न्याय को और अधिक सुलभ बनाता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से **MedLEaPR** के और अधिक सुदृढ़ीकरण हेतु अपने सुझाव एवं इनपुट साझा करने का आग्रह किया।

श्री सरबजीत सिंह, उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी (एसआईओ), एनआईसी हरियाणा ने **MedLEaPR** के राज्य नोडल अधिकारियों, एनआईसी राज्य समन्वयकों तथा मास्टर प्रशिक्षकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त की।

कार्यक्रम की झलकियाँ :—

CHANDIGARH
JUDICIAL
ACADEMY
NIC
National Informatics Centre
MedLEaPR
Regional Workshop
14th January 2026, Chandigarh
Venue: Chandigarh Judicial Academy, Sector 43, Chandigarh
National Informatics Centre Haryana,
New Secretariat G01, Sector 17, Chandigarh

GLOBUS

Date : 14th January 2026
Integrated with
laboratories

Integrated with
laboratories
CCTNS

simple imprisonment up
up to two thousand

Integrated with
laboratories

CCTNS
Integrated with
CCTNS

MediLEaPR
Mr. Sarabjeet Singh

प्रेस विज्ञप्तियाँ:-

चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकैडमी में रीजनल मैडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वर्कशॉप आयोजित

मेडलीपीआर स्टैंडर्ड मैडिको-लीगल और पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्टिंग को मजबूत करेगा: न्यायाधीश राजेश बिंदल

जस्टिस राजेश बिंदल, जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस शील नागू, चीफ जस्टिस, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस जगमोहन बंसल, सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, और वरिंद्र सेठ, डी.डी.जी. और राज्य समन्वयक, एन.आई.सी. हरियाणा, चंडीगढ़ में 'मेडलीपीआर' पर क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान ग्रुप फोटो में। (कुल)

चंडीगढ़, 14 जनवरी (बंसल): नैशनल इंफॉर्मेटिक्स सैंटर, हरियाणा ने चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकैडमी में मैडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग पर एक क्षेत्रीय वर्कशॉप आयोजित की। इस वर्कशॉप में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्कशॉप का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल ने किया। उद्घाटन सत्र की शुरूआत पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन से हुई।

इस मौके पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, न्यायाधीश हरसिमरन सिंह सेठी, न्यायाधीश जगमोहन बंसल, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और एन.आई.सी. हरियाणा के डी.डी.जी. और स्टेट को-ऑर्डीनेटर वरिंद्र सेठ मौजूद रहे।

इस मौके पर, गणमान्य लोगों ने मेडलीपीआर पर कलेक्शन का औपचारिक रूप से अनावरण किया, जिसमें मेडलीपीआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैडिको-लीगल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग प्रैक्टिस के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर रैफरैंस डॉक्यूमैंट के रूप में महत्व पर प्रकाश डाला गया। मेडलीपीआर मोबाइल एप्लीकेशन को मुख्य अतिथि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल ने सॉफ्ट-लॉन्च किया।

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने मेडलीपीआर को लागू करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की पहल की सराहना की और इस बात पर बल दिया कि वर्कशॉप के दौरान मिले सुझाव और फीडबैक से प्लेटफॉर्म और मजबूत और बेहतर होगा, जिससे मैडिको-लीगल रिपोर्टिंग ज्यादा भरोसेमंद, स्टैंडर्डाइज्ड और कुशल बनेगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने बताया कि मेडलीपीआर मैडिको-लीगल और पोस्टमार्टम रिकॉर्ड को आसान बनाता है, और सुरक्षित डिजिटाइजेशन और इंटीग्रेशन के जरिए देरी, स्टैंडर्डाइजेशन और ऑथैंटिसिटी की दिक्कतों को दूर करता है। उन्होंने भरोसा जताया कि मेडलीपीआर कम्पेंडियम और मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च से भरोसेमंद और जवाबदेह मैडिको-लीगल रिपोर्टिंग और बेहतर होगी।

चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी में रीजनल मेडिको लीगल और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट वर्कशॉप आयोजित

मेडलीपीआर स्टैंडर्ड मेडिको-लीगल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग को करेगा मजबूत : न्यायधीश राजेश बिंदल

मेडलीपीआर स्टैंडर्ड मेडिको-लीगल रिकॉर्ड में देरी और ऑथेंटिसिटी के मुद्दों को करेगा हल: मुख्य न्यायधीश शील नागू

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा राष्ट्रीय आवकर परिषद के महानिदेशक एवं राज्य समन्वयक चंडीगढ़ में आयोजित हमेडलीपीआरक्ष पर क्षेत्रीय कार्यशाला में एक समूह फोटो के दौरान।

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 14 जनवरी : नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा ने चंडीगढ़ ज्यूडिशियल एकेडमी में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग पर क्षेत्रीय वर्कशॉप आयोजित की। वर्कशॉप में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्कशॉप का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश राजेश बिंदल ने किया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई। इस मौके पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश शील नागू, न्यायधीश हरसिमरन सिंह सेठी, न्यायधीश जगमोहन बंसल, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और एनआईसी हरियाणा के डीडीजी और स्टेट कोऑर्डिनेटर वरिंद्र सेठ मौजूद रहे। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने मेडलीपीआर पर कलेक्शन का औपचारिक रूप से अनावरण किया। जिसमें मेडलीपीआर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेडिको-लीगल जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग प्रैक्टिस के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर रेफरेंस डॉक्यूमेंट के रूप में महत्व पर प्रकाश डाला गया। मेडलीपीआर मोबाइल एप्लिकेशन को मुख्य अतिथि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश राजेश बिंदल ने सॉफ्ट लॉन्च किया।

मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग बनेगी ज्यादा भरोसेमंद, स्टैंडर्डाइज्ड और कुशल

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने मेडलीपीआर को लागू करने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पहल की सराहना की। इस बात पर बल दिया कि वर्कशॉप के दौरान मिले सुझाव और फीडबैक से प्लेटफॉर्म और मजबूत और बेहतर होगा। जिससे मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग ज्यादा भरोसेमंद, स्टैंडर्डाइज्ड और कुशल बनेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश शील नागू ने बताया कि मेडलीपीआर मेडिको-लीगल और पोस्टमॉर्टम रिकॉर्ड को आसान बनाता है। सुरक्षित डिजिटाइजेशन और इंटीग्रेशन के जरिए देरी, स्टैंडर्डाइजेशन और ऑथेंटिसिटी की दिक्कतों को दूर करता है। उन्होंने भरोसा जताया कि मेडलीपीआर कम्पेंडियम और मोबाइल एप्लीकेशन के लॉन्च से भरोसेमंद और जवाबदेह मेडिको-लीगल रिपोर्टिंग और बेहतर होगी।

बड़े सुधार के तौर पर मेडलीपीआर सिस्टम के महत्व पर दिया बल

जस्टिस राजेश बिंदल ने मेडिको-लीगल और पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग में एक बड़े सुधार के तौर पर मेडलीपीआर सिस्टम के महत्व पर बल दिया। उन्होंने एनआईसी हरियाणा द्वारा दी गई तकनीकी सहायता की सराहना की। इस बात पर बल दिया कि कम से कम लागत पर एक मजबूत, पैन-इंडिया डिजिटल सॉल्यूशन बनाने के लिए ज्यूडिशियल और टेक्निकल एजेंसियों के बीच सहयोग जरूरी है। इस दौरान राज्यों और यूटी मेडलीपीआर के स्टेट नोडल ऑफिसरों ने अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, बेस्ट प्रैक्टिस, चैलेंज और आगे का रास्ता विस्तार से साझा किया। एनआईसी हरियाणा के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स ऑफिसर संदीप सिंह ने वर्कशॉप में मेडलीपीआर कोऑर्डिनेटर और मास्टर ट्रेनर के भाग लेने पर धन्यवाद की।

CHANDIGARH

NIC Haryana Organises Regional 'MedLEaPR' Workshop at Chandigarh Judicial Academy

January 14, 2026 07:28 PM

'MedLEaPR' to Strengthen Standardised Medico-Legal and Post-Mortem Reporting: Justice Rajesh Bindal

'MedLEaPR' to Address Delays and Authenticity Issues in Medico-Legal Records: High Court Chief Justice Sheel Nagu

Feedback from States to Further Improve 'MedLEaPR' Platform: ACS Sudhir Rajpal

Punjab Newsline, Chandigarh-

The National Informatics Centre (NIC)-Haryana organized a regional workshop on 'MedLEaPR' (Medico Legal Examination and Post-Mortem Reporting) on January 14, 2026, at the Chandigarh Judicial Academy.

Representatives from 9 states and union territories, namely Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, and Delhi attended the workshop.The workshop was inaugurated by Hon'ble Justice Rajesh Bindal, Judge, Supreme Court of India. The inaugural session commenced with the traditional lighting of the lamp ceremony, followed by the felicitation of dignitaries.

Justice Sheel Nagu, Chief Justice, Punjab and Haryana High Court, Justice Harsimran Singh Sethi, Justice Jagmohan Bansal, Sudhir Rajpal, Additional Chief Secretary, Health, and Varindra Seth, DDG & State Coordinator, NIC Haryana were present on the occasion.

On the occasion, the dignitaries formally unveiled the Compendium on MedLEaPR, highlighting its significance as a comprehensive reference document aimed at medico-legal examination and post-mortem reporting practices through the MedLEaPR platform. The MedLEaPR mobile application was soft-launched by the Chief Guest, Justice Rajesh Bindal, Judge, Supreme Court of India.

Sudhir Rajpal, ACS, Health, Haryana, appreciated the initiative taken by the Punjab and Haryana High Court in implementing MedLEaPR and emphasized that suggestions and feedback received during the workshop will further strengthen and improve the platform, making medico-legal reporting more reliable, standardized and efficient.

Justice Sheel Nagu, highlighted that MedLEaPR streamlines medico-legal and post-mortem records, addressing delays, standardization and authenticity issues through secure digitization and integration. He expressed confidence that the launch of the MedLEaPR Compendium and Mobile Application, supported by ongoing training, will further enhance reliable and accountable medico-legal reporting.

Justice Rajesh Bindal highlighted the significance of the MedLEaPR system as a major reform in medico-legal and post-mortem reporting. He appreciated the technical support provided by NIC Haryana and emphasized that collaboration between judicial and technical experts was key to developing a robust, PAN-India digital solution at minimal cost.

State Nodal Officer of MedLEaPR from 9 States and UTs shared their implementation strategy, best practices, challenges and future way forward. Sarbjeet Singh, Deputy Director General and State Informatics Officer (SIO), NIC Haryana, expressed appreciation for the enthusiastic participation of State Nodal Officers, NIC State Coordinators and Master Trainers of MedLEaPR in the workshop.

NIC Haryana organises regional 'MedLEaPR' workshop at Chandigarh Judicial Academy

By : Babushahi Bureau

First Published : Wednesday, Jan 14, 2026 04:53 PM

NIC Haryana organises regional 'MedLEaPR' workshop at Chandigarh Judicial Academy

Babushahi Bureau

Chandigarh, January 14, 2026 - The National Informatics Centre (NIC)-Haryana organized a regional workshop on 'MedLEaPR' (Medico Legal Examination and Post-Mortem Reporting) on January 14, 2026, at the Chandigarh Judicial Academy.

Representatives from 9 states and union territories, namely Jammu & Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh, and Delhi, attended the workshop.

The workshop was inaugurated by Hon'ble Justice Rajesh Bindal, Judge, Supreme Court of India. The inaugural session commenced with the traditional lighting of the lamp ceremony, followed by the felicitation of dignitaries.

Hon'ble Justice Sheel Nagu, Chief Justice, Punjab and Haryana High Court, Justice Harsimran Singh Sethi, Justice Jagmohan Bansal, Sh. Sudhir Rajpal, Additional Chief Secretary, Health, and Sh. Varindra Seth, DDG & State Coordinator, NIC Haryana were present on the occasion.

On the occasion, the dignitaries formally unveiled the Compendium on MedLEaPR, highlighting its significance as a comprehensive reference document aimed at medico-legal examination and post-mortem reporting practices through the MedLEaPR platform. The MedLEaPR mobile application was soft-launched by the Chief Guest, Justice Rajesh Bindal, Judge, Supreme Court of India.

Sh. Sudhir Rajpal, ACS, Health, Haryana, appreciated the initiative taken by the Punjab and Haryana High Court in implementing MedLEaPR and emphasized that suggestions and feedback received during the workshop will further strengthen and improve the platform, making medico-legal reporting more reliable, standardized and efficient.

Hon'ble Justice Sheel Nagu, Chief Justice, Punjab and Haryana High Court, highlighted that MedLEaPR streamlines medico-legal and post-mortem records, addressing delays, standardization and authenticity issues through secure digitization and integration. He expressed confidence that the launch of the MedLEaPR Compendium and Mobile Application, supported by ongoing training, will further enhance reliable and accountable medico-legal reporting.

Justice Rajesh Bindal highlighted the significance of the MedLEaPR system as a major reform in medico-legal and post-mortem reporting. He appreciated the technical support provided by NIC Haryana and emphasized that collaboration between judicial and technical experts was key to developing a robust, PAN-India digital solution at minimal cost.

State Nodal Officer of MedLEaPR from 9 States and UTs shared their implementation strategy, best practices, challenges and future way forward.

Sh. Sarbjeet Singh, Deputy Director General and State Informatics Officer (SIO), NIC Haryana, expressed appreciation for the enthusiastic participation of State Nodal Officers, NIC State Coordinators and Master Trainers of MedLEaPR in the workshop.

समन्वय, संकलन व रिपोर्ट:
राजीव शर्मा
(वैज्ञानिक-'सी')
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा